न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
51 / 12	दावा	31.08.12	26.04.18

1. घरींडा वल्द पाच्या (फोत)
   1/1 राजूलाल वल्द घरींडा।
   1/2 घोडी पुत्री घरींडा।
   1/3 भोती वेवा घरींडा।
   समस्त जाति वैरवा ग्राम मान्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—वादीगण

वनाम

1. घनश्याम 2. राधेश्याम 3. सुनील 4. चन्दर 5. पिन्टू पुत्रान गोरधन 6. शंकर पुत्र गंगोल्या 7. भरतू पुत्र शंकर 8. प्रेमराज पुत्र शंकर 9. बाबू 10. दिनेश 11. हेमराज पिसरान वदरी समस्त जाति वैरवा निवासीयान मान्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली 12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

परिस्थतः— श्री केशव कुमार गोतम एड0 वकील वादीगण।
श्री राजाराम मीना वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व ावादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 298 रकवा 01 बीघा 08 बिस्वा के ग्राम वलुआपुरा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। ावादीगण का इस आराजी से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण सहजोर, ताकत एवं ठ वाले व्यक्ति है जो कि गांव के असामाजिक तत्वों को अपने साथ लेकर लाठी के बल पर मुण ी को मेरी आराजी से वेदखल कर अवैध कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 02.08.2012 को ी अपनी उक्त आराजी मे ट्रेक्टर से जोत निकलवा रहा था तो अचानक प्रतिवादीगण 1 लगायत हाथों मे लाठी गंडासी लेकर मेरी आराजी पर आ गये और ट्रेक्टर को रोक दिया, वादी ने जब ने मना किया तो माँ वहन की फोस फोस गालिया देने लग गये। वादी ने प्रतिवादीगण को हाथ कर कहा कि आप ऐसा मत करो लेकिन प्रतिवादीगण ने एक नही सुनी तथा कहने लगे कि हम जमीन पर अवेध कब्जा करके रहेगें, हमारा कोई कुछ नही विगाड़ सकता तथा प्रतिवादीगण दा फिसाद पर उतारू हो गये। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण रिये वकील अपना जवावदावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को नाजायज न करने की नियत से दावा पेश किया है क्योंकि विवादित आराजीयात पर वादीगण स्वयं ही काश्त एवं काविज नही है, इसलिए वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा विना कब्जा के चलने नही है। दावा मे वाद हेतुक झूंठा एवं मनगढन्त बताया गया है। उक्त विवादित आराजी मे हम दीगण 40 वर्षो से काविज है। इसलिए दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवावदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर चार यात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी सं0 1/1 राजूलाल पीडब्ल्यू 1 पेश किया जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमावंदी ग्राम पुरा सम्वत् 2065–68 तथा सम्वत् 2073–76 पेश की है। प्रतिवादीगण ने वावजूद अंतिम कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन गया। दावा, जवावदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न है:—

Scanned by CamScanner

1. **आया विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी वादीगण की सेपरेट खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. **आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। जैसा कि तनकी नं0 1 से स्पष्ट है वादीगण विवादित आराजी का सैपरेट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिस पर किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः वादीगण विवादित भूमि पर दखलंदाजी नही करने बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. **आया आया वादीगण ने दावा नाजायज एवं परेशान करने की नियत से पेश किया है, वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नही है, इसलिए दावा वादीगण खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य कराई है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है, ना ही कोई स्वतन्त्र गवाह पेश किये है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के सेपरेट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी षेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम बलुआपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 298 क़बा 01 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा त्पन्न नही करे ना ही किसी दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। आदेश आज नांक 26.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो था बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner